रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934
No. 407] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2012

सा.का.नि.631(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 822 (अ) दिनांक 04 नवम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3 उप-खण्ड (i) दिनांक 04 नवम्बर, 2011 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से जिस तिथि को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, के आम जनता को उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र आम जनता को 4 नवम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 25) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

नियम

1. (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में, नियम 6 में

(क) मद (i) के लिए खण्ड (क) में निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात "(i) भारत के नागरिक, सार्क (बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान) और बिमस्टैक देशों (बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैण्ड और म्यांमार) के आगन्तुक और भारत के प्रवासी नागरिक - 10/-रू0 प्रति व्यक्ति "

(ख) मद (i) के लिए खण्ड (ख) में निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात "(i) भारत के नागरिक, सार्क (बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान) और बिमस्टैक देशों (बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैण्ड और म्यांमार) के आगन्तुक और भारत के प्रवासी नागरिक- 5/-रू0 प्रति व्यक्ति "

[फा. सं. 13/7/05/एम]

डॉ. गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

टिप्पणी : मूल नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे।

(i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
(ii) संख्या सा.का.नि. 663 दिनांक 1 मई, 1967
(iii) संख्या का.आ. 5002 दिनांक 13 दिसम्बर, 1969
(iv) संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
(v) संख्या सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
(vi) संख्या सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
(vii) संख्या सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(viii) संख्या सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(ix) संख्या सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
(x) संख्या का.आ. 10(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
(xi) संख्या सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
(xii) संख्या सा.का.नि. 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
(xiii) संख्या सा.का.नि. 112 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008
(xiv) संख्या सा.का.नि. 164 (अ) दिनांक 5 मार्च, 2008
(xv) संख्या सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 9 जून, 2008
(xvi) संख्या सा.का.नि. 529 (अ) दिनांक 16 जुलाई, 2008
(xvii) संख्या सा.का.नि. 37 (अ) दिनांक 18 जनवरी, 2012

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2012

G.S.R. 631(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Rules, 1959, were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), in the Gazette of India, Part-II , Section 3, Sub-section (i), dated the 4th November, 2011 vide notification of the Government of India in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India number G.S.R.822(E), dated the 4th November, 2011, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 4th November, 2011;

And whereas no objections and suggestions were received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:--

RULES

1. (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Second Amendment) Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, in rule 6,--

   (A) in clause (a) for item (i) , the following item shall be substituted, namely:-
   "(i) citizen of India, visitors of SAARC(Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives and Afghanistan) and BIMSTEC Countries

(Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Thailand and Myanmar), and Overseas Citizens of India –Rs.10/- per head";

(B) in clause (b) for item (i), the following shall be substituted, namely:-

" (i) citizen of India, visitors of SAARC(Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives and Afghanistan) and BIMSTEC Countries (Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Thailand and Myanmar), and Overseas Citizens of India –Rs.5/- per head".

[F. No. 13/7/05/M]

Dr. GAUTAM SENGUPTA, Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-Section (ii) dated the 15th October, 1959 and subsequently amended vide:-

1. No. S.O. 3520 dated 20th November, 1966
2. No.G.S.R 663 dated 1ST May, 1967
3. No. S.O. 5002 dated 13th December, 1969
4. No. S.O.935 dated 16th February, 1971
5. No. G.S.R. 90 dated 30th January, 1991
6. No. G.S.R. 306 dated 10th July, 1996
7. No. G.S.R. 799(E) dated 17th October, 2000
8. No. G.S.R 800(E) dated 17th October, 2000
9. No. G.S.R 848(E) dated 3rd November, 2000
10. No. S.O.dated 10(E) dated 5th January, 2001
11. No. G.S.R 688(E) dated 24th September, 2001
12. No. G.S.R 372(E) dated 30th April, 2003
13. No. G.S.R 112(E) dated 27th February.2008
14. No. G.S.R 164(E) dated 5th March, 2008
15. No. G.S.R 436(E) dated 9th June, 2008
16. No. G.S.R. 529(E) dated 16th July, 2008
17. No. G.S.R. 37(E) dated 18th January, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.